

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
16 / 170 / 2025

रजिस्टर्ड नम्बर  
2025 / 210

प्रवेश तिथि  
21.07.2025

निर्णय दिनांक  
30.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. निवाजखां पुत्र रमजू जाति लुहार सा. केशरपुर, तहसील अलवर जिला अलवर (राज०)।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14  
(4) भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:-

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

—निर्णय:-

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम बाढकेशरपुर, तहसील अलवर, जिला अलवर की आराजी खसरा न० 18 रकबा 0.37 है० किस्म नहरी2 भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न० 18 रकबा 0.37 है० किस्म नहरी2 भूमि वाके ग्राम बाढकेशरपुर, तहसील अलवर की आराजी का वर्ष 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटनी का आवंटन के समय कब्जा रहा है।

पटवारी हल्का उमरैण की रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025 से स्पष्ट जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा-काश्त नहीं है तथा ना मौके पर फसल पाई गई है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट संलग्न है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा न० 18 रकबा 0.37 है० किस्म नहरी2 भूमि वाके ग्राम बाढकेशरपुर तहसील अलवर जिला अलवर की आराजी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने से जवाब बंद किया गया है। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि विवादित आवंटित आराजी खसरा न० 18 रकबा 0.37 है० किस्म नहरी2 भूमि वाके ग्राम बाढकेशरपुर मौके पर अप्रार्थी का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए किया गया था। आराजी खसरा न० 18 रकबा 0.37 है० किस्म नहरी2 भूमि वाके ग्राम बाढकेशरपुर गैर खातेदार अप्रार्थी निवाजखां पुत्र रमजू जाति लुहार सा. केशरपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का उमरैण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार ग्राम बाढकेशरपुर के आराजी खसरा न0 18 रकबा 0.37 है0 किस्म नहरी2 भूमि पर वर्तमान में गैर खातेदार (अप्रार्थी) का कोई कब्जा नहीं है तथा मौके पर उक्त आराजी में कृषि कार्य किया जा रही है तथा कोई पक्का निर्माण नहीं है। मौके पर उक्त कृषि कार्य मदनलाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी बाढकेशरपुर द्वारा किया जा रहा है। ग्राम बाढकेशरपुर वन विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.07.2012 के तहत संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में घोषित है। रिपोर्ट पटवारी हल्का उमरैण से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि का आवंटन होने के बाद अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी/अप्रार्थी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है एवं ना ही मुताबिक पटवारी मौका पर्चा अनुसार अप्रार्थी का कब्जा काशत रहा है तथा उक्त भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति द्वारा काशत की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी एवं द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई आराजी खसरा न0 18 रकबा 0.37 है0 किस्म नहरी2 भूमि वाके ग्राम बाढकेशरपुर तहसील अलवर जिला अलवर के आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकसील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)  
अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज0)